


101031 15153  
 11  
 158  
 158  
 158  
 158

30 - 10 - 10  
 30 - 10 - 10  
 30 - 10 - 10  
 30 - 10 - 10





10 - 10 - 10  
 10 - 10 - 10  
 10 - 10 - 10

231  
 231  
 231


101031 15153



संताल परगना  
 मौजा :- पाकुड़ नं० १२४  
 थाना :- पाकुड़  
 जिला :- पाकुड़ (झारखण्ड)



चौहद्दी :-  
 उ० :- १०' चौड़ा नीजी रास्ता  
 द० :- दाग नं० ५९० का सीमाना  
 पू० :- नीज विक्रेता  
 प० :- एही साम



संकेत  
 मौजा  
 पाकुड़ नं० १२४

दाग नं०	५९१	-	रकबा	०-१-१०
			बी.क.यू.	

(एक कट्टा इस प्लट)

Traced by  
 M. M. M. M. M.  
 Amin


१. विक्रेता का ह० :- M. M. M. M. M.  
 २३-११-०१२

विशेषज्ञ  
 Keshwar Mphooli

२. क्रेता का ह० :-

गौप्यिक डा० सारि





Handwritten notes in Hindi, including 'मिशन' (Mission) and 'मैप' (Map).

Handwritten notes in Hindi, including 'मैप' (Map) and 'मिशन' (Mission).



Handwritten notes in Hindi, including 'मैप' (Map) and 'मिशन' (Mission).

Handwritten number '28/11' with a checkmark.

Handwritten notes in Hindi, including 'मैप' (Map) and 'मिशन' (Mission).

Handwritten signature 'S. S. S. S.' and other illegible text.

Handwritten notes in Hindi, including 'मैप' (Map) and 'मिशन' (Mission).





(1148)

20/7/18  
21/7/18

14-फारम सं० 562


## आदेश फलक

(देखे अभिलेखहस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक : ता० ..... से ..... तक

अंचल :- पाकुड़ (सदर), जिला - पाकुड़

वार्ड नं०..... 925/20.14-15..... वार्ड का प्रकार : नामांतरण

आदेश की क्र० सं० और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख सहित
20/9/14	<p>आवेदक/आवेदिका ..... अफसाना परवीन पति/पति ..... लालू मिश्रा सा० 2029101 थाना ..... 1288 जिला ..... पाकुड़ ने नामांतरण हेतु निम्नलिखित विवरणी की भूमि का आवेदन-पत्र समर्पित किया है :- मौजा थाना सं० जमाबंदी/खाता दाग/प्लॉट नं० रकबा 4138 128 541 491 00-01-10</p> <p>उपर्युक्त विवरणी की भूमि के नामांतरण के संबंध में हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 20/9/14 को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी, पाकुड़।</p>	
29/9/14	<p>अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध हैं। जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। सोलह आना रैयत को आपत्ति हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 14/10/14 को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी, पाकुड़।</p>	<p>प्रमाणित प्रतिलिपि</p>
14/10/14	<p>अभिलेख उपस्थापित। सोलह आना रैयत को निर्गत नोटिस का तामिला अभिलेखबद्ध हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति पत्र प्राप्त नहीं हैं। अभिलेख आदेश हेतु दिनांक 16/10/14 को रखें।</p> <p>अंचल अधिकारी, पाकुड़।</p>	<p>प्रधान सहायक अंचल कार्यालय पाकुड़ अंचल अधिकृत 9299 के अधिनियम (एफ) के अधिनियम 92 के अन्तर्गत</p>
16/10/14	<p>अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेखबद्ध हैं। इन्होंने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि निबंधित क्रयपत्र/दानपत्र/वसीयतनामा/स्वत्ववाद सं० बंटननामा 4681 दिनांक 26/11/12 के द्वारा प्राप्त कर आवेदक जमीन के दखलदार हैं। आवेदित भूमि चालू पंजी 11 में होल्डींग नं० 134 के पृष्ठ पर 26/11/12 के नाम से दर्ज हैं, जो वर्तमान विक्रेता 215 के हैं, को 215 द्वारा प्राप्त हैं। आवेदित भूमि खतियान के अनुसार रैयती हैं तथा विक्रयशील हैं। भूमि, भू-दान, भू-हथबंदी, सैरात, गैर मजूरुआ, आम</p>	



आदेश की क्र० सं० और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख सहित
-----------------------------	--------------------------------	--

खास, गौचर, केशर हिन्दु तथा सार्वजनिक/सरकारी उपक्रम के अधिग्रहण से मुक्त हैं।  
इन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा  
है इसलिए नामांतरण की अनुशंसा किया है।

अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आलोक में लगान वसूली की  
दृष्टिकोण से आवेदित भूमि मौजा ..... ५१३/५ के खाता सं० .....

..... ५५१ दाग सं० ५०१ के रकवा ००-०१-१०  
के नामांतरण ..... किया जाता है, जिसका लगान ०.२०

रूपये अलावे शेष होगा जमीन की विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :-

मौजा	थाना सं०	जमाबंदी सं०	दाग सं०	रकवा	लगान
५१३/५	१२४	५५१	५०१	००-०१-१०	०.२०

तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें तथा हल्का कर्मचारी से अनुपालन प्रतिवेदन की माँग  
करें।

अंचल अधिकारी,  
पाकुड़।

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त है।  
अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

अंचल अधिकारी,  
पाकुड़।

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान सहायक अंचल कार्यालय

पाकुड़ अंचल

अधिकृत १८७७ के अधिनियम (एफ)

के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत







प्रमाणित प्रतिनिधि

### दाखिल-खारिज जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र

जिला-पाकुड़ अनुमंडल-पाकुड़ अंचल-पाकुड़  
 हल्का सं०- 5A थाना सं०- 128 ग्राम का नाम- 4158  
 हस्तान्तरण की गयी भूमि का क्षेत्रफल- 00-01-10 हस्तान्तरण प्रकार- रिपारेशन  
 निबंधन सं०- 4681 निबंधन तिथि- 26/11/12 मूल्य- 3,00,000/-

प्रधान सहायक अंचल कार्यालय  
 पाकुड़ अंचल  
 अधिकृत 9599 के अधिनियम (एफ)  
 के अधिनियम 195 के अन्तर्गत

#### दाखिल-खारिज के पूर्व का खाता

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सालाना लगान	अभ्युक्ति
			विघा	कट्टा	धुर		
1	2	3	4			5	6
जैदुन नोआ वीरि ← 210 पाकुड़	541	491 446	3	7	2	12-08	814 136

#### दाखिल-खारिज के बाद का खाता

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सालाना लगान	अभ्युक्ति
			विघा	कट्टा	धुर		
1	2	3	4			5	6
← 210 पाकुड़ जैदुन नोआ वीरि	541	491 446	3	05	12	11-88	136

#### नामांतरण होने वाली भूमि का विवरणी

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सालाना लगान	अभ्युक्ति
			विघा	कट्टा	धुर		
1	2	3	4			5	6
प्रथम पक्ष - मोठ मही उददी 1 (1) आदि 220/18 मोठ (नाम कुटी) 3) 322 (महसुब) 42 (8) 50 (विद्यु) द्वितीय पक्ष - महसुब (नाम) क्षेत्रफल पर जैदुन नोआ वीरि क (वाट)	541	491	00	01	10	0-20	

- (1) पंजी- 11 के रैयत का नाम :- जैदुन नोआ वीरि  
 (2) खतियानी रैयत का नाम :- रिपारेशन





- (3) खतियान के आधार पर मौजा विक्रयशील है अथवा नहीं ? निष्पत्तीक
- (4) विक्रेता द्वारा भूमि बिक्री की अनुमति प्राप्त की गयी है अथवा नहीं ? —
- (5) विक्रेता आदिवासी है अथवा गैर-आदिवासी ? गैर आदिवासी
- (6) खतियानी रैयत से पंजी- 11 के रैयत का संबंध :- किस संबंध
- (7) विक्रेता का जमाबंदी रैयत से संबंध :- किस प्रकार का है
- (8) विक्रेता ने क्या अपने हिस्से की भूमि बिक्री की है ? है
- (9) क्या विक्रेता का आवेदित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल था ? है
- (10) भूमि पर क्रेता के दखल का स्वरूप :- आदिवासी
- (11) क्या आवेदित भूमि/जंगल झाड़ी/गोचर है ? नहीं
- (12) क्या आवेदित भूमि गैर-मजरूआ खास/आम/कैसरे हिन्द/भू हदबंदी/लीज/अर्जित/विभागीय है ? नहीं
- (13) विक्रयशील का आधार खतियान में दर्ज है या नहीं है ? नहीं
- (14) भूमि का वर्तमान स्वरूप (यथा नदी, नाला, सड़क, पहाड़ उपजाऊ आदि) - खाली कापोर
- (15) हल्का कर्मचारी का मन्तव्य :- मौजा पास 128 100 दिग की मजौजा है किपुलें किरि उतियात से अठला रैयती है। उतियात अगापेरी रैयत में है, पालावतुपुए है जो केवा रेपात सिंकार कालामुठ पडा रैयत सिपुकि है। शिवरिअ अमि देलावेर-देवावेर की अउरै अमि काठियाती नीती है। केवः सिपुए मित्रा एवत की सुपरीषात किम कापाती न हावे उतार रेगम निवापारुपि कपा आपुगवच
- (16) अंचल निरीक्षक की स्पष्ट अनुशांसा :- —



**प्रमाणित प्रतिलिपि**  
 प्रधान सहायक अंचल कार्यालय  
 पाकुड़ अंचल  
 अधिकृत 9299 के अधिनियम (एफ)  
 के अधिनियम 92 के अन्तर्गत

महोदय  
 आप प्रोफ के जौन प्रसिबदन से निवाकतपु  
 पंजी उपे विहागसिपु यपी चें कोल  
 आण रैयत से सु-चनीपुपेरे कपु आपति  
 न हो तो नार्थवेर की एतिया की म  
 आपनी दे —



**सरकार में निहित इस्टेटों के अभिधारित के नामान्तरण से संबंधित शुद्धिपत्र**

क्रम सं०	पंजी 27 का नामांतरण क्रमांक	नामांतरण से संबंध का पूर्ण व्यौरा				नामांतरण का आधार	नामान्तरण मंजूर करने वाला प्राधिकार एवं आदेश तिथि	नामांतरण से प्रभावित विनिमय का पूर्ण व्यौरा	नामान्तरण के बाद ह०क० द्वारा कायम की गई तथा शुद्धिकरण की तिथि	अभियुक्ति									
		मौजा का नाम	खता नं०	प्लॉट नं०	रकबा						होलिंदा नं० (पुराना)	अनुश्रित लगाना							
	985 14-15				491	00-01-0	194	0.20	कि० कि० कि०										



**प्रमाणित प्रतिलिपि**  
 प्रमाणित सहायक अंचल कार्यालय  
 पाकुड़ अंचल  
 अधिनियम 9270 के अधिनियम (एफ)  
 के अधिनियम 102 के अन्तर्गत

विक्रेता पक्ष :  
 श्री महेश्वरी श्री 0 आ. 0 1 5 6 8 1 1 0  
 प्लॉट नं० 100-01-0  
 प्लॉट नं० 100-01-0  
 प्लॉट नं० 100-01-0

प्रतिलिपि : इल्का कर्मचारी, इल्का नं० ..... 51 को अनुपालनार्थ प्रेषित

अंचल अधिकारी  
 पाकुड़।







## कार्यालय अंचल-अधिकारी पाकुड़

नोटिस बनाम सोपल खाता रूकन मौजा पाकुड़

साठ ५५४ थाना ५५४ जिला पाकुड़

चू वजरीए इस नोटिस के द्वारा आगाह किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका आफसारा ५२५०

पिता/पति गोविन्द मिश्रा के द्वारा नामंतरण हेतु

आवेदित भूमि के दावा के संबंध में सुनवाई दिनांक १५.११.१५ को

११:०० बजे पूर्वाह्न में की जाएगी। आपत्ति पत्र निर्धारित तिथि व समय पर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

इसे ताकिद जानें।

अंचल अधिकारी

पाकुड़

२१/११/१५

भूमि की विवरणी :

मौजा ५५४ जमाबन्दी/खाता नं० ५५४

दाग/प्लॉट नं० ५५४

रकवा ००-०१-१०



प्रमाणित प्रतिलिपि  
प्रधान सहायक अंचल कार्यालय  
पाकुड़ अंचल  
अधिकृत १८७७ के अधिनियम (एफ)  
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत



- 1) Ramesh Kumar
- 2) Rajendra Kumar
- 3) Mahendra Kumar
- 4) G. J. Singh
- 5) Ramesh Kumar

जो कि स लाला की वरत  
 शासक की

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान सहायक अंचल कार्यालय  
 पाकुड़ अंचल  
 अधिकृत 9-97 के अधिनियम (एफ)  
 के अधिनियम 9- के अन्तर्गत







सेवा में,  
अंचल अधिकारी  
पाकुड़।

विषय : नामांतरण के संबंध में।

महाशय,

सादर निवेदन करना है कि निम्नलिखित विवरणी की भूमि  
क्रयपत्र/दानपत्र/वसीयतनामा/बंटननामा स्वत्ववाद सं०..... 468/  
दिनांक 26/11/12 के द्वारा प्राप्त कर मैं शांतिपूर्वक दखलकार हूँ।

मौजा	थाना नं०	जमाबन्दी नं०	दाग नं०	रकवा
नम	128	541	491	000110

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त भूमि का नामांतरण स्वीकृत  
कर सरकारी लगान-रसीद निर्गत करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक :

विश्वासभाजन  
Afsana Parveen



प्रमाणित प्रतिलिपि  
प्रधान सहायक अंचल कार्यालय  
पाकुड़ अंचल  
अधिकृत 9-199 के अधिनियम (एफ)  
के अधिनियम 9-1 के अन्तर्गत






विवरण	रु०	पै०
देखास्त शुल्क- 6/50X1	6.	50
अनुसंधान शुल्क- 10/50X6	63.	00
अन्य शुल्क- 2/20X6	13.	20
फोटियो-		
सादा कागज-		
नक्शा शुल्क-		
नकल शुल्क-		
अन्य शुल्क-		
पृष्ठों की संख्या-		
योग-	82	70


रुपया (शब्दों में)

एक सठ बीस रुपये मात्र  
 सुलना लिपिक, अंचल कार्यालय पाकुड़  
 जिला- पाकुड़ (ओरखण्ड)

Handwritten signature in red ink.







1147  
20-7-14

14-फारम सं० 562

### आदेश फलक

(देखे अभिलेखहस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक : ता० ..... से ..... तक

अंचल :- पाकुड़ (सदर), जिला - पाकुड़

वार्ड नं०..... 924 / 20.14.15 वार्ड का प्रकार : नामांतरण

आदेश की क्र० सं० और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख सहित
--------------------------	--------------------------------	--

29/9/14

आवेदक/आवेदिका तौहिक अंसरी  
 पिता/पति कृष्ण अंसरी सा० महाराज  
 थाना पाकुड़ जिला पाकुड़ ने नामांतरण हेतु निम्नलिखित  
 विवरणी की भूमि का आवेदन-पत्र समर्पित किया है :-  
 मौजा थाना सं० जमाबंदी/खाता दाग/प्लॉट नं० रकवा  
पाकुड़ 128 541 491 60-61-10



उपर्युक्त विवरणी की भूमि के नामांतरण के संबंध में हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 29/9/14 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,  
पाकुड़।

29/9/14

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध हैं। जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। सोलह आना रैयत को आपत्ति हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 14/10/14 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,  
पाकुड़।

14/10/14

अभिलेख उपस्थापित। सोलह आना रैयत को निर्गत नोटिस का तामिला अभिलेखबद्ध हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति पत्र प्राप्त नहीं हैं। अभिलेख आदेश हेतु दिनांक 16/10/14 को रखें।

अंचल अधिकारी,  
पाकुड़।

16/10/14

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेखबद्ध हैं। इन्होंने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि निबंधित क्रयपत्र/दानपत्र/वसीयतनामा/स्वत्ववाद सं० बंटननामा 4682 दिनांक 26/11/12 के द्वारा प्राप्त कर आवेदक जमीन के दखलकार हैं। आवेदित भूमि चालू पंजी-11 में होल्डींग नं० 134 के पृष्ठ पर 12/11/14 के नाम से दर्ज हैं, जो वर्तमान विक्रेता ग. म. म. के ग. म. म. हैं, को द्वारा प्राप्त हैं। आवेदित भूमि खतियान के अनुसार रैयती हैं तथा विक्रयशील हैं। भूमि, भू-दान, भू-हथबंदी, सैमन, गैर मजूरूआ, आम

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रमाण सहायक अंचल कार्यालय  
पाकुड़ अंचल  
अधिकृत 9209 के अधिनियम (एफ)  
के अधिनियम 92 के अन्तर्गत



आदेश की क्र० सं० और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के संबंध में टिप्पणी तारीख सहित
-----------------------------	--------------------------------	--

खास, गौचर, केशर हिन्दु तथा सार्वजनिक/सरकारी उपक्रम के अधिग्रहण से मुक्त हैं।  
इन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा  
है इसलिए नामांतरण की अनुशंसा किया है।

अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आलोक में लगान वसूली की  
दृष्टिकोण से आवेदित भूमि मौजा ..... ५१५५ ..... के खाता सं० .....  
..... ५५१ ..... दाग सं० ..... ५५१ ..... के रकवा ..... ००-०१-१०  
के नामांतरण ..... १२८ ..... किया जाता है, जिसका लगान ..... ०.२०  
रुपये अलावे शेष होगा। जमीन की विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :-

मौजा	थाना सं०	जमाबंदी सं०	दाग सं०	रकवा	लगान
५१५५	१२८	५५१	५५१	००-०१-१०	०.२०

तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें तथा हल्का कर्मचारी से अनुपालन प्रतिवेदन की माँग  
करें।

अंचल अधिकारी,  
पाकुड़।

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हैं।  
अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,  
पाकुड़।



प्रमाणित प्रतिलिपि  
प्रथम सहायक अंचल कार्यालय  
पाकुड़ अंचल  
अधिकृत १८७७ के अधिनियम (एफ)  
के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत







प्रमाणित प्रतिलिपि  
 प्रधान सहायक अंचल कार्यालय  
 पाकुड़ अंचल  
 अधिकृत १८७७ के अधिनियम (एफ)  
 के अधिनियम ७८ के अन्तर्गत

दाखिल-खारिज जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र

जिला-पाकुड़ अनुमंडल-पाकुड़ अंचल-पाकुड़  
 हल्का सं०- 5A थाना सं०- 128 ग्राम का नाम- 418  
 हस्तान्तरण की गयी भूमि का क्षेत्रफल- 00-01-10 हस्तान्तरण प्रकार- वि०प० डी०  
 निबंधन सं०- 4682 निबंधन तिथि- 26/11/12 मूल्य- 3,00,000/-

दाखिल-खारिज के पूर्व का खाता

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सलाना लगान	अभ्युक्ति
			बिघा	कट्टा	धुर		
1	2	3	4			5	6
जैदु नैमा दीवा	541	491 446	03	05	12	11588	134

दाखिल-खारिज के बाद का खाता

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सलाना लगान	अभ्युक्ति
			बिघा	कट्टा	धुर		
1	2	3	4			5	6
हरमो ००९ पंजी	541	491 446	3	04	02	1168	134

नामांतरण होने वाली भूमि का विवरणी

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता/पति का नाम एवं पता	खाता सं०	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल			सलाना लगान	अभ्युक्ति
			बिघा	कट्टा	धुर		
1	2	3	4			5	6
प्रथम पक्ष - शिरो मही उददी-विभाजित हरमो ००९ मा० सायबदीन १) बि० २ म० ६७७ पर ३० २५६ हरमो लोमारी २०५६ द्वितीय पक्ष - जौ किट अंलादी पेठरी म अंलादी सा० पर ०६५	541	491	00	01	10	020	

- (1) पंजी- 11 के रैयत का नाम :- जैदु नैमा दीवा  
 (2) खतियानी रैयत का नाम :- रामसुभाष